रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 5, 2004/पौष 15, 1925
No. 8] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 5, 2004/PAUSA 15, 1925

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 5 जनवरी, 2004

फा. सं. भाप्रविबो/विधि/27/04.—भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, **वड़ोदरा स्टॉक एक्सचेंज लि.** (इसमें इसके पश्चात् "एक्सचेंज" के रूप में निर्दिष्ट) जिसका अपना रजिस्ट्रीकृत कार्यालय **"फॉर्चुन टॉवर, पी.ओ. बॉक्स सं. 2547, सयाजीगंज, वड़ोदरा-390005"** में स्थित है द्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन किए गए मान्यता के नवीकरण के लिए आवेदन पर विचार करते हुए और यह समाधान हो जाने पर कि यह व्यापार के हित में होगा और ऐसा करना लोकहित में भी होगा, एतद्द्वारा, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्सचेंज को मान्यता का नवीकरण उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन 4 जनवरी, 2004 को प्रारम्भ होने वाली और 3 जनवरी, 2005 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए प्रतिभूतियों में संविदाओं की बाबत, इसमें नीचे कथित शर्तों अथवा जो इसके पश्चात् विहित या अधिरोपित की जायें के अध्यधीन प्रदान करता है :—

- एक्सचेंज निरीक्षण रिपोर्ट के अध्याय 7 में उल्लिखित समस्त संप्रेक्षणों का अनुपालन करेगा जो एक्सचेंज को तारीख 24 दिसम्बर, 2003 के पत्र सं.डीएमएस/वीएसई/आईएनएसपीआरईपी/2003/24366 द्वारा संसूचित किये गये थे।

ज्ञानेन्द्र नाथ बाजपेयी, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/69 जेड बी/2003/असाधा.]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 5th January, 2004

F. No. SEBI/LE/27/04.—The Securities and Exchange Board of India, having considered the application for renewal of recognition made under Section 3 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, by **Vadodara Stock Exchange Ltd.**, (hereinafter referred to as "the Exchange") having its registered office at **"Fortune Tower, P.O Box No. 2547, Sayajigunj, Vadodara-390 005"** and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 4 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 renewal of recognition to the said Exchange under Section 4 of the said Act for a further period of one year commencing on the 4th day of January, 2004 and ending on the 3rd day of January, 2005 in respect of contracts in securities, subject to the conditions stated herein below or as may be prescribed or imposed hereafter:

- The Exchange shall comply with all the observations mentioned in Chapter 7 of the inspection report which were communicated to the Exchange vide letter No. DMS/VSE/INSP REP/2003/24366 dated December 24, 2003.

G. N. BAJPAI, Chairman

[ADVT III/IV/69ZB/2003/Exty.]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.